

## LIBRARY RULES

### पुस्तकालय नियमावली

1. पुस्तकालय में मर्यादित आचरण का पालन करें। किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार न करें।
2. पुस्तक जारी करने पर पुस्तकालय पंजी में हस्ताक्षर एवं मोबाईल नंबर अंकित करना अनिवार्य है।
3. पुस्तकालय सामग्री को पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जाना चाहिए जब तक कि पुस्तकालय में कर्मचारी उन्हे रजिस्टर में एंट्री कर जारी न किया हों।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों और दस्तावेजों के प्रति सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। पुस्तकों में रेखांकित करना पृष्ठ फाड़ना किसी भी प्रकार की मार्किंग करना निसिद्ध है।
5. निर्धारित समय 02 : 30 बजे में पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं।
6. पुस्तकों को जारी करने के तारिक से 15 दिन बाद पुस्तकालय में जमा करना अनिवार्य है। यदि 15 दिवस के भीतर लौटाया न गया हो तो क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।
7. पुस्तकों निर्धारित अवधि के भितर वापस करना होगा। या पहले ही उन्हे फिर से इश्यू करना होगा। नियत तारीख के बाद प्रतिदिन 2 रु.जुर्माना लगाया जाएगा।
8. पुस्तकालय में आई कार्ड के साथ प्रवेश करें। बिना आई कार्ड पुस्तक जारी नहीं किया जा सकेगा।
9. पुस्तकालय में कोविड – 19 के गाईडलाइन का पालन करें एवं मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर ही प्रवेश करें।
10. सभी शिक्षक/विद्यार्थियों को भौतिक सत्यापन के लिए अपने अधिकार में रखें सभी पुस्तकों को पुस्तकालय में लौटाना होगा।
11. पुस्तकालय की पुस्तकों की पहुंच सभी छात्र छात्राओं तक हो तथा छात्र छात्राओं को उनके नोट्स बनाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए सभी छात्र छात्राएँ पुस्तकों से नोट्स बनावे तथा शीघ्रता शीघ्र उसे वापस पुस्तकालय में जमा कर दूसरी पुस्तक प्राप्त करें।
12. परीक्षा पूर्व सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तके पुस्तकालय में जमा कराना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी छात्र छात्राएँ परीक्षा हेतु अपने नोट्स व्यवस्थित ढंग से तैयार करें।
13. उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त संख्या प्रमुख तथा पुस्तकालय प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देश बंधनकारी होंगे।

ग्रंथालय प्रभारी  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला – बालोद (छ.ग.)



प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला – बालोद (छ.ग.)

Queshi 16/11/21

## // सूचना //

बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं एम.ए. प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पुस्तकालय से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुस्तके निकाल सकते हैं। पुस्तके निकालने के लिए पुस्तकालय नियमावली का पालन करना अनिवार्य है।

कक्षा का नाम	दिन	समय
एम.ए. प्रथम/तृतीय, बी.कॉम. तृतीय	सोमवार	2:30
बी.कॉम द्वितीय/ प्रथम वर्ष	मंगलवार	2:30
बी.ए. प्रथम वर्ष	बुधवार	2:30
बी.ए. द्वितीय/तृतीय वर्ष	गुरुवार	2:30
बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	शुक्रवार	2:30
बी.एस.सी. द्वितीय/तृतीय वर्ष	शनिवार	2:30

टीपः— पुस्तके प्राप्त करने हेतु प्रेषण शुल्क रसीद अपने साथ लाना अनिवार्य है।

ग्रंथालय प्रभारी  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला — बालोद (छ.ग.)



प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला — बालोद (छ.ग.)